न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 07/2020 निर्णय दिनांक –10.06.2020

1. श्री आशाराम पिता रतनलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. श्री धर्मचन्द पिता रतनलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्री घीसालाल पिता नन्दा जाति रावत उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री लोकेन्द्रसिंह पिता मंगलसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी शिवगढ तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री राजेन्द्रसिंह पिता दलपत सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी शिवगढ तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बेनपुरी कलां पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 02 की आराजी नं0 330/263 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, आराजी नं0 331/264 रकबा 1.7900 हैक्टेयर, कुल किता 02 रकबा 3.8200 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा बेनपुरी कलां पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 02 की आराजी नं0 330/263 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, आराजी नं0 331/264 रकबा 1.7900 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.04 00:30:47 IST
Reason: SelfAttested